## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3703–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–8–2013 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, इटारसी, जिला होशंगाबाद प्रकरण कमांक 51/अ–6/2011–12.

---

अशोक कुमार आ0 स्व. हरनामसिंह
निवासी ग्राम सनखेड़ा
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद ..............आवेदक

**विरूद्ध**

डा. मंगलसिंह आ0 स्व. हरनामसिंह
निवासी ग्राम सनखेड़ा
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद ..............अनावेदक

---

श्री जे.पी. शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

---

**:: आ दे श ::**

**( पारित दिनांक 15 मई, 2014)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 23–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, इटारसी के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115 / 116 एवं 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा ग्राम सनखेड़ा, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 228 / 2 रकबा 5.12 एकड़ हरनामसिंह से पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और आज दिनांक तक वह काबिज है । उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से लगातार वर्ष 1982–83 तक अनावेदक का नाम दर्ज रहा । अनावेदक शासकीय सेवा में होकर डाक्टर है, और 20–22 वर्षों से विदिशा में पदस्थ रहते हुए पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुआ है, उसके शासकीय सेवा में रहने से उसे राजस्व अभिलेखों की नकल लेने की आवश्यकता कभी नहीं हुई, और मई 2012 में जब पटवारी द्वारा बतलाया गया कि ऋण–पुस्तिका बनना है, तब पहली बार अनावेदक द्वारा उसकी जमीन से संबंधित अभिलेख की जानकारी लेने पर पटवारी द्वारा बतलाया गया कि उसकी भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है । उक्त त्रुटि लेखन संबंधी है, अतः सर्वे क्रमांक 228 / 2 में आवेदक के नाम की गई गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाकर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में से कम किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 51 / अ–6 / 2011–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति ली गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 2–1–1994 को संशोधन पंजी क्रमांक 19 प्रमाणीकरण दिनांक 3–2–1995 से खातेदार कमलाबाई के फौत होने के पश्चात उसके स्थान पर आवेदक अशोक कुमार का नाम दर्ज हुआ है, और संशोधन पंजी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, अतः उक्त आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–8–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115 / 116 के अंतर्गत इस आशय का अवेदन पत्र प्रस्तुत

किया गया है कि त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज हो गया है, अतः संशोधित किया जाये, जबकि आवेदक का नाम संशोधन पंजी पर दर्ज हुआ है, और संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत संशोधन पंजी दुरूस्त नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर पहले मां का नाम दर्ज हुआ, और मां की मृत्यु के उपरांत दोनों भाईयों का नाम दर्ज हुआ है, जिसकी जानकारी अनावेदक को प्रारंभ से ही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर संशोधन पंजी पर आवेदक का नामांतरण हुआ है, और संशोधन पंजी पर पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, संहिता की धारा 115/116 लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में संशोधन पंजी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि जिस समय प्रश्नाधीन भूमि पर मां का नाम दर्ज हुआ, उस समय अनावेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, और संहिता की धारा 115/116 में किसी व्यक्ति का नाम कम किए जाने का प्रावधान नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधन पंजी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, और जब तक संशोधन पंजी निरस्त नहीं होती, तब तक किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है । तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 369 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा दिनांक 24–5–1954 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम भी दर्ज हो गया था। यह भी कहा गया कि जब अनावेदक द्वारा नई बही बनवाने हेतु कार्यवाही की गई, तब उसकी जानकारी में यह तथ्य आया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज हो गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1982–83 तक प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज रहा, और वर्ष 1984–85 में बिना किसी आदेश के मां के नाम की प्रविष्टि कर दी गई । इस आधार पर कहा गया कि कमलाबाई के नाम की प्रविष्टि स्वत्व विहीन बिना किसी आदेश

के की गई है, जिसे संशोधित करने का अधिकार तहसीलदार को संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कमलाबाई का नाम एवं उसकी मृत्यु के उपरांत आवेदक का नाम बिना किसी हक अर्जन के दर्ज किया गया है, जिसे संहिता की धारा 32 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवास्तविक प्रविष्टि के संशोधन के लिए कोई समय–सीमा का बंधन नहीं है, और प्रविष्टि केवल राजस्व प्राप्ति के लिए की जाती है, उससे कोई हक प्राप्त नहीं होता है । प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । तर्कों के समर्थन में 1998 आर.एन. 296 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत मुख्य रूप से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम संशोधन पंजी कमांक 19 प्रमाणीकरण दिनांक 3–2–95 से भूमिस्वामी कमलाबाई की मृत्यु उपरांत दर्ज किया गया है, और संशोधन पंजी निरस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है तथा उक्त प्रविष्टि की जानकारी अनावेदक को प्रारंभ से है, फिर भी संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–8–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करने की पात्रता होने संबंधी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में स्पष्ट विवेचना नहीं की गई है कि संशोधन पंजी पर हुए नामांतरण को संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाये कि, की गई प्रविष्टियां स्पष्टतः क्षेत्राधिकार रहित होकर पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हैं, तब तक उन्हें संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत दुरूस्त नहीं किया जा सकता है, और उक्त कार्यवाही दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार

पर ही की जा सकती है । नायब तहसीलदार द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक यह सिद्ध नहीं कर सका है कि राजस्व अभिलेखों में कमलाबाई का नाम किस प्रकार आया, क्योंकि यह भी साक्ष्य का विषय है, और साक्ष्य से ही उक्त बिन्दु का निराकरण किया जा सकता है । नायब तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वह आवेदक के आवेदन पत्र पर विस्तृत जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निक़ालते हुए कि क्या अनावेदक को संहिता की धारा 115 / 116 के अंतर्गत प्रश्नाधीन प्रविष्टियां दुरूस्त कराने का अधिकार है, अथवा नहीं । तद्नुसार आवेदक के आवेदन पत्र का निराकरण करते, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, इटारसी, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–8–2013 निरस्त किया जाता है, और प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु नायब तहसीलदार, इटारसी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

( स्वदीप सिंह )<br>
अध्यक्ष<br>
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,<br>
ग्वालियर